फर्द अहकाम
(नियम (20))

अज अदालत ..... उपखण्ड अधिकारी सिकराय .....

सरकार बनाम ..... [illegible] .....

किस्म मुकदमा ..... [illegible] .....मु० नं०..... [illegible]

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो मुल हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 22/3/19 | पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार को सुनाया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। सरकार के मध्य बहस का मनन किया। सह खातेदारों द्वारा उपस्थित होकर सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया। मुताबिक सहमति पत्र सरकार इन्तीकाल का निरोधन किया गया। सहमतिपत्र पर पक्षकार व पटवारी, भू०अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट भी पत्रावली पर उपलब्ध है जिस पर इन्तीकाल का निरोधन किया। ऐसी स्थिति में मुताबिक सहमति पत्र प्रकरण निस्तारित किये जाने योग्य है एवं सहमति पत्र दि० 20.3.19 की निर्णय व डिक्री का अंग रहेगा। अतः दावा वादी स्वीकार किया जाता है तथा विवादित खाता सं. 123 वाले रकबा [illegible] तहसील सिकराय के यथास्थ रिकार्ड में सहमति दि० 20.3.19 के मुताबिक इन्तकाल करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते है। निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। | |

22/3/19
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा